सत्यनारायण बनाम धनश्याम

आज्ञा विस्तृत रूप से

5/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है विवादित आदेश नामान्तरण निरस्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नकल शामिल होकर दर्ज रजि० होकर तहसील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Gokul Narayan Agrawal Adv.
To check and report.

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, क्रम–। जयपुर जिला जयपुर

प्रथम राजस्व अपील संख्या 5 / 2020

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

त्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम गंवार जा
हसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

—अपीलार्थ

बनाम

1. धनश्याम पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र 55
2. जगराम पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र 5
3. पियूष कुमार पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उ
4. तुलसीदेवी पुत्री स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उ

समस्त निवासीयान ग्राम गंवार जाटान, तहसील सांगानेर, जि
राजस्थान ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर तहसील कार्याल
जिला जयपुर ।
6. ग्राम पंचायत, वाटिका, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भवन वा
सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाट, उम्र 78 वर्ष, निवासी
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

—तर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:18 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2535 व अ
सरपंच, वाटिका, दिनांक 7.9.2020 जो तहसील
जयपुर के विरुद्ध ।

...ालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

...ीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
...संख्या : 5/2020
...दिनांक : 04.11.2024

उनवान

...त्यनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट, उम्र 4.7 वर्ष, निवासी ग्राम गंवार जाटान, ...हसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

अपीलान्ट

बनाम

... घनश्याम पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र 55 वर्ष।
... जगराम पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र 52 वर्ष
... पियूष कुमार पुत्र स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र ५४ वर्ष
4. तुलसीदेवी पुत्री स्व. श्रीमति तीजा देवी पत्नी स्व. श्री गोगाराम जाट उम्र 58 वर्ष समस्त निवासीयान ग्राम गंवार जाटान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।
5. राजस्थान सरकार वाया फोर्ट, सांगानेर तहसील कार्यालय, सांगानेर, जिला जयपुर।
6. ग्राम पंचायत, वाटिका, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत भवन वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

रेस्पोडेंटस

7. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाट, उम्र 78 वर्ष, निवासीयान ग्राम गंवार जाटान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान ।

——तरतिबी–प्रत्यर्थी

<u>अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2535 व आज्ञा ग्राम पंचायत सरपंच, वाटिका, दिनांक 7.9.2020 जो तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के विरुद्ध ।</u>

दिनांकः 04.11.2024

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील अंतर्गत धारा 75 र.एल.आर.एक्ट विरुद्ध नामांतकरण संख्या 2535 वाटिका के ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 07.09.2020 ग्राम पंचायत वाटिका के ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पेश की जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका अन्तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि ख.न. 577 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, ख.न. 578 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, ख.न. 579 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, ख.न. 580 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, ख.न. 581/634 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, ख.न. 617 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, ख.न. 618 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, ख.न. 619 रकबा 1.2200 हैक्टेयर, कुल किता 8 खसरा नम्बरान में कुल रकबा 4.1900 हैक्टेयर आराजी कृषि भूमि स्थित है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

2

ि 1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाति जाट, निवासी ग्राम गंवार जाटान, ल सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अपीलार्थी क्त अपील के मद संख्या 1 में वर्णित लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाति जाट सी गंवार जाटान, तहसील सांगानेर की सम्पूर्ण कृषि भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 0.2006 को क्रय की थी, परन्तु लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश की नियत में खोट आ के कारण, अपीलार्थी के हक में लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व गणेश द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया, और दिनांक 11.01.2007 को लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश द्वारा ति तीजा देवी पत्नी श्री गोगाराम व श्रीमति स्याणी देवी पत्नी श्री मेघराज के हक में पंजीयक महोदय सांगानेर के यहां उक्त अपील की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि संबंध में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया, जो कि दिनांक 11.01.2007 का विक्रय निर्णय व डिक्री दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को माननीय सक्षम सिविल न्यायालयः जिला यायाधीश मुकाम जयपुर जिला जयपुर द्वारा शून्य व प्रभावहीन घोषित कर दिया है। पीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के मध्य अपील की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि से संबंधित विदा की विशिष्टि अनुपालना घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय सक्षम न्यायालयः जिला न्यायाधीश मुकाम जयपुर जिला जयपुर में वाद विचारण पूर्ण कर, वाद संख्या 3/2007 (एन.सी.वी.नम्बर 2211/2014) उनवानी सत्यनारायण बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य दिनाक 31.12.2019 को निर्णित कर डिक्री अपीलार्थी के पक्ष में पारित हो गई है, जिसमे दिनांक 11.01.2007 के विक्रय पत्र (प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की माता श्रीमति तीजादेवी) को शून्य व प्रभावहीन घोषित कर दिया गया है, साथ ही दिनांक 13.12.2019 क निर्णय व आदेश में "प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में कोई तोडफोड निर्माण नही करे, किसी अन्य को किसी प्रकार से विक्रय अन्तरित नहीं करे तथा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नही करावे" उक्त आदेश खुले न्यायालय में पारित कर सुनाया गया है, जिसकी श्रीमति तीजा देवी (प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की माता) व श्रीमति स्याणी देवी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर में दिवानी नियमित अपील कर रखी है जिसमें भी स्थगन जारी है। दिनांक 29.09.2020 को उक्त अपील की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि से संबंधित सह–खातेदार काश्तकार दामोदरप्रसाद, रामरतन पुत्रान सीताराम [illegible] निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के व्यक्ति अपीलार्थी [illegible] कृषि भूमि का बंटवारा करवाने के लिये अपने कागजातों सहित [illegible] श्री की दामोदरप्रसाद महाजन व रामरतन महाजन से वार्ता हुयी तो वार्ता के दौरान [illegible] विरासत के नामान्तकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 के हक में खुले जाने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 29.09.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:16:18 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...र्थी को ग्राम पंचायत वाटिका के सरपंच महोदय की आज्ञा का ज्ञान हुआ, जिसके ...द अपीलार्थी ने नामान्तकरण की सत्य प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन कर दिनाक ...0.2020 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की जिसके बाद यह अपील निम्न लिखित विन्दुओं पर ...नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:– वादग्रस्त मामले मे आराजी कृषि भूमि के संबंध में ...नीय न्यायालय जयपुर जिला जयपुर ने दिवानी वाद संख्या 43/2007 (एन.सी.वी. नम्बर ...11/2014) उनवानी सत्यनारायण बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में दिनांक 13 दिसम्बर ...019 को न्यायिक आज्ञा जारी की है जो "प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द ...या जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में कोई तोडफोड निर्माण नही करे, किसी अन्य को ...सी प्रकार से विक्रय अन्तरित नहीं करे तथा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नही करावे" ...क्त सक्षम दिवानी न्यायालय की न्यायिक आज्ञा के बाजवूद अपीलाधीन विरासत का ...ामान्तकरण्ध खोल दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के प्रतिकुल है तथा माननीय ...क्षम दिवानी जिला जज जयपुर जिला जयपुर के आदेश की अवेहलना हुई है, इसलिये उक्त नामान्तकरण बिना किसी जांच के स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते खोला गया है जो नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका की अपीलगत आज्ञा लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स व भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 11.01.2007 के शून्य व प्रभावहीन घोषित विक्रय पत्रों के आधार पर प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 4 को राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने का अधिकार प्राप्त नही था व आज भी नही है, इस कारण व परिस्थितिवश अपीलगत आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलगत आज्ञा नॉन स्पीकिंग है, जो केवल एक लाईन का आदेश है। यह आज्ञा रिपोर्ट पटवारी, रिपोर्ट गिरदावर का पृष्ठांकन मात्र है एवं नामान्तकरण स्वीकार करने के लिये कानून समस्त तथ्यों की विवेचना कर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर पारित नही की गई है। इसलिये अपीलगत आज्ञा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगाने की अपीलगत आज्ञा पत्रावली व तथ्यों के विरूद्ध सरमाईजेज व कन्जरवेचर्स है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलगत दिनांक 07.09.2[...] नामान्तकरण संख्या 2535 को निरस्त किये जाने की पारित की जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज [...] कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 उप[...]यत। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ओर से जवाब पेश नही हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 7 बावजूद रजिस्टर्ड डॉक सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में
मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन

पत्रावली व तहत न्यायालय रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील
न्ट की बहस पर मनन किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया क्योकि अपील देरी से पेश
है। इस देरी को कण्डोन कराने जाने हेतु अपीलान्ट की प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद
नियम मय सपथ पत्र पेश किया । प्रतिपक्ष की ओर से इसका कोई जवाब या काउन्टर
पत्र दाखिल नही किया गया । ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेख है कि प्रार्थना
में अकित तथ्यो का खण्डन होता हो। लिहाजा प्रार्थना पत्र अपील जेर दफा 5 मियाद
नियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार कि जाती है।

इसके उपरान्त मूल अपील पर विचार किया गया सर्वप्रथम तहत पत्रावली
अवलोकन किया गया । जिससे प्रगट है कि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका
तर्गत तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि ख.न. 577 रकबा 0.
00 हैक्टेयर, ख.न. 578 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, ख.न. 579 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, ख.न.
80 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, ख.न. 581/6341 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, ख.न. 617 रकबा 0.
100 हैक्टेयर, ख.न. 618 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, ख.न. 619 रकबा 1.2200 हैक्टेयर, कुल
किता 8 खसरा नम्बरान में कुल रकबा 4.1900 हैक्टेयर आराजी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें
1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाति जाट, निवासी ग्राम गंवार जाटान, तहसील
सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अपीलार्थी ने उक्त
लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश जाति जाट निवासी गंवार जाटान, तहसील सांगानेर की
सम्पूर्ण कृषि भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 27.10.2006 को क्रय की थी, परन्तु
लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री गणेश ने अपीलार्थी के हक में लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व गणेश द्वारा
विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करवाया गया, और दिनांक 11.01.2007 को लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व.
श्री गणेश द्वारा श्रीमति तीजा देवी पत्नी श्री गोगाराम व श्रीमति स्याणी देवी पत्नी श्री मेधराज
के हक में उप–पंजीयक महोदय सांगानेर के पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया,
जिसके सम्बंध में माननीय सक्षम सिविल न्यायालय जिला न्यायाधीश मुकाम जयपुर जिला
जयपुर वाद बाबत् विक्रय पत्र शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने हेतु दायर किया गया।
माननीय सिविल न्यायालयः जिला न्यायाधीश मुकाम जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपने निर्णय
व डिक्री दिनांक 13/12/2019 में आदेश दिये है कि प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय इकरारनामा
दिनांक 27.10.2024 की अनुपालना में शेष विक्रय प्रतिफल वादी से प्राप्त कर वादग्रस्त भुमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीक्रत करावे। पंजीयन का खर्चा वादी वहन करेगा। वादी संख्या 1 द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर वादी न्यायालय के माध्यम में दगस्त सम्पति का विक्रय पत्र करवाने का अधिकारी होगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दग्रस्त भुमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 2 व दो के पक्ष में निष्पादित व पंजीक्रत विक्रय त्र दिनांक 11.01.2007 वादी के मुकाबलें शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में कोई तोडफोड निर्माण नही करे, किसी अन्य को किसी प्रकार से विक्रय अन्तरित नहीं करे तथा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नही करावे" के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि माननीय सिविल न्यायालयः जिला न्यायाधीश मुकाम जयपुर जिला जयपुर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13/12/2019 में आदेश दिये है कि प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय इकरारनामा दिनांक 27.10.2024 की अनुपालना में शेष विक्रय प्रतिफल वादी से प्राप्त कर वादग्रस्त भुमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीक्रत करावे। पंजीयन का खर्चा वादी वहन करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा करने में असफल रहने पर वादी न्यायालय के माध्यम में वादगस्त सम्पति का विक्रय पत्र करवाने का अधिकारी होगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भुमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 2 व दो के पक्ष में निष्पादित व पंजीक्रत विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2007 वादी के मुकाबलें शून्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर "प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में कोई तोडफोड निर्माण नही करे, किसी अन्य को किसी प्रकार से विक्रय अन्तरित नहीं करे तथा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन नही करावे" के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा को तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2535 दिनांक 07.09.2020 निरस्त योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत वाटिका, पचांयत समिति सांगानेर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2535 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:46:18 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर